फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर, मुकाम अलवर

सुनीता गुप्ता बनाम सरकार वगैरा

किस्म मुकदमा:– इन्तकाल अपील

मु० नं० ....सन –2024

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22–04–24	अपील वकील विद्वान श्री गणपत सिंह नरूका एडवोकेट ने उपस्थित होकर प्रस्तुत किया, अपील दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 15–05–2024 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी अलवर 15·5·24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 12-6-24 को पेश हो। रीडर 12/6/24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 08/08/24 को पेश हो। रीडर 08-8-24 पत्रावली पेश हुई वकील अपीलार्थी उपस्थित ने रजिस्ट्री रसीद मय ट्रैक रिपोर्ट पेश की बाद गौर दिनांक 28-8-24 को पेश होवे।	No/CC 448 10/7/24

उपखण्ड अधिकारी

अलवर

Scanned with OKEN Scanner

28-8-24

पत्रावली पेश हुई वकील अप्रार्थी उपस्थित न
बावजूद सम्मन्स सर्व्ड अनुपस्थित इनके विरुद्ध
एक तरफा कार्यवाही करते हुए जवाब बन्द
किया जाता है एकतरफा बहस सुनी गई निर्णय
पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में
सुनाया गया पत्रावली नम्बर से कम हो बाद
तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अलवर जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रतीक जुईकर (आई0ए0एस)

मु.नं.	किस्म	तारीख दायर	तारीख निर्णय
5/12	अपील	22.04.2024	28.08.2024

उनवान

1:–सुनीता गुप्ता पत्नि श्री निलेश खण्डेलवाल जाति महाजन आयु करीब 52 साल निवासी ग्राम नगंली झामावत अलवर हाल निवासी 268 स्कीम न0 8 गॉधी नगर अलवर

बनाम

1:–राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार अलवर

2:–सरपंच, ग्राम पंचायत कैरवाजाट पंचायत समिति मालाखेडा, तहसील अलवर

अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 1689 दिनॅाक 30.12.2023 वाके ग्राम कैरवाजाट पंचायत समिति मालाखेडा, तहसील अलवर

निर्णय

अपीलान्टस ने राज.भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत जर्ये वकील ने निवेदन किया कि श्रीमती कल्लो देवी पत्नि नेकीराम जाट निवासी ग्राम केरवाजाट खानपुर जाट तहसील व जिला अलवर की खातेदारी की आराजी खाता स0 31 मे आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 1.20 है0 वाके ग्राम कैरवाजाट तहसील अलवर जिला अलवर मे स्थित है जो मौजूदा अपील मे विवादित है अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी मे से रकवा 0.25 है0 भूमी को मूल खातेदार श्रीमतह कल्लो देवी से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनॅाक 17–10–2023 जो पुस्तक स0 1 जिल्द स0 355 पेज स0 127 कम स0 202303070107297 पर उप पंजीयक कार्यालय अलवर द्वितीय के यहा पंजीबद्व के द्वारा खरीद किया गया जा बयनामा अपीलाण्ट के नाम पर पंजीबद्व है। अपीलाण्ट के द्वारा बाद खरीद आराजी उसके विकय का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे कराने हेतु आवेदन किया गया और इन्तकाल स0 1689 हेतु कार्यवाही की गईजिस पर राजस्व विभाग के कर्मचारियो द्वारा सहबन से आराजीयात के बेचान के इन्तकाल स0 1689 मे आराजी के विकयशुदा रकबा 0.25 है0 के स्थान पर आराजी के सम्पूर्ण रकबा 1.20 है0 को शामिल कर करते हुये उसको स्वीकार किया गया जिस पर यह अपील पूर्ण वजूहाज के साथ पेश की जा रही है। विवादित इन्तकाल स0 1689 को दर्ज करते समय रैस्पोडेण्ट एंव तत्कालीन राजस्व कर्मवारियो द्वारा कतई गौर नही करते हुये मनमाने तरीका से इन्तकाल स0 1689 मे आराजी स0 न0 67 रकबा 1.20 है0 वाके ग्राम कैरवाजाट तहसील व जिला अलवर के सम्पूर्ण रकबा 1.20 है0 मे से विकय किये गये अंश 0.25 है0 भूमी का इन्तकाल अपीलाण्ट क नाम दर्ज नही करते हुये अपीलाण्ट के नाम पर आराजी के सम्पूर्ण रकबा 1.20 है0 भूमी का इन्तकाल दर्ज कर दिया गया जो संशोधित किया जाने योग्य है खरीदशुदा आराजी का बयनामा केवल मात्र आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 1.20 है0 मे से 0.25 है0 वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

कैरवाजाट तहसील व जिला अलवर किन्तु इस तथ्य पर कर्त गौर नही करते हुये विवादित इन्तकाल दर्ज किया गया है जो संशोधित किया जाने योग्य है। इन्तकाल स0 1689 को पूर्व रिकॉर्ड का अनुसरण करते हुये वर्तमान पंजीबद्व दस्तावेज का बगैर अनुसरण किये दर्ज किया गया जबकि उक्त इन्तकाल को दर्ज करने से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड का एंव बयनामा का अनुसरण किया जाना आवश्यक था जो संशोधित किये जाने योग्य है। विवादित भूमी खातेदारी की भूमी जिसका जिसमे से केवल मात्र 0.25 है0 भूमी का ही हस्तान्तरण किया गया है लेकिन इस तथ्य पर कतई गौर नही करते हुये विवादित इन्तकाल दर्ज किया गया है जो संशोधित किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है ग्राम पंचायत ग्राम कैरवाजाट तहसील अलवर जिला अलवर के निर्णय विरूद्व यह अपील न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है। अपील इन्तकाल स0 स्वीकार आदेश दिनॉक 30–12–2023 को पारित किया गया जिस गलती की जानकारी अपीलाण्ट को हाल ही मे नकल जमाबन्दी से हुई जिससे अपील हाल अवधि पर होने के कारण पृथक से मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत पेश किया जा रहा है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत कैरवाजाट द्वारा स्वीकार किये गये इन्तकाल स0 1689 दिनॉक 30–12–2023 को संशोधित किया जाकर विवादित इन्तकाल मे खसरा नम्बर 67 रकबा 1.20 है0 मे से 0.25 है0 आराजी के स्थान पर 1.20 है0 आराजी वाके ग्राम कैरवाजाट तहसील अलवर जिला अलवर पर अपीलाण्ट का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया को संशोधित किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 1.20 है0 मे से केवल मात्र 0.25 है0 भूमी का राजस्व रिकॉर्ड अपीलाण्ट के नाम दर्ज किया जावे तथा शेष रकबा मूल खातेदार कल्लो देवी पत्नि नेकीराम जाट निवासी केरवाजाट खानपुर जाट तहसील व जिला अलवर के नाम दर्ज किया जाकर संशोधित किया जाने की आज्ञा सादिर फरमाने की कृपा करे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस जरिये नोटिस तलब किये गये। रेस्पोडेन्ट विधि सम्मत तामील उपरान्त भी उपस्थित नही हुये उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लेते हुये बहस सुनी गई बहस मे अपीलान्ट के द्वारा कथन किया कि इन्तकाल स0 1689 दिनॉक 30–12–2023 को संशोधित किया जाकर विवादित इन्तकाल मे खसरा नम्बर 67 रकबा 1.20 है0 मे से 0.25 है0 आराजी के स्थान पर 1.20 है0 आराजी वाके ग्राम कैरवाजाट तहसील अलवर जिला अलवर पर अपीलाण्ट का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया को संशोधित किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 1.20 है0 मे से केवल मात्र 0.25 है0 भूमी का राजस्व रिकॉर्ड अपीलाण्ट के नाम दर्ज किया जावे तथा शेष रकबा मूल खातेदार कल्लो देवी पत्नि नेकीराम जाट निवासी केरवाजाट खानपुर जाट तहसील व जिला अलवर के नाम दर्ज किया जाकर संशोधित किया जाने का श्रम करावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया वकुलाय को सुना गया प्रार्थना पत्र दफा 5 पर नरम रूख अपनाते हुऐ प्रार्थना पत्र दफा 5 स्वीकार किया तथा बहस पर मनन किया। तहत पारित आलोच्य आदेश प्रथम दृष्टया अपास्त योग्य प्रतीत होता है अतः अपील अपीलान्ट इस हद तक स्वीकार की जाती है। तहत पारित आलोच्य आदेश ग्राम कैरवाजाट तहसील अलवर की आज्ञा इंतकाल संख्या 1689 दिनॉक 30–12–2023 बावत इन्तकाल स0 1689 वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

कैरवाजाट ग्राम पंचायत कैरवाजाट तहसील अलवर जिला अलवर इस हद तक अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि भू-राजस्व अधिनियम एवं अन्य राजस्व नियमों को दृष्टिगत रखते हुऐ प्रकरण मे विधिक रूप से प्रर्याप्त साक्ष्य/सबूत पेश करने का प्रर्याप्त अवसर अवसर/समय प्रदान करते हुये पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 28-8-2024 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
अलवर
अलवर

Scanned with OKEN Scanner